ईमेल / महत्वपूर्ण / वी.सी. दिनांक 28.05.2022 / प्रातः 10.00 बजे।
पत्रांक 847 / 28–08 / 2020–22 दिनांक 25 मई–2022

प्रेषक,

आयुक्त
मेरठ मण्डल
मेरठ।

सेवा में,

1 **उपाध्यक्ष**
विकास प्राधिकरण।
मेरठ / गाजियाबाद / बुलन्दशहर–खुर्जा / हापुड़–पिलुखवा / बागपत–बड़ौत–खेकड़ा।

2.संयुक्त आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्
मेरठ।

विषयः मा0 आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों की समीक्षा बैठक दिनांक 28.05.2022 में प्रतिभाग किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एंव शहरी नियोजन अनुभाग–1, लखनऊ के पत्र संख्या–531 / आठ–1–22–1858 / 2020 दिनांक 19.05.2022 (प्रति संलग्न) का अवलोकन कर प्रकरण का संज्ञान ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र के द्वारा शासन के पूर्व पत्र संख्या–1657 / आठ–1–21–1858 / 2020 दिनांक 25.10.2021 की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों की 13 प्रारूपों पर समीक्षा के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं कृत कार्यवाही से शासन एवं आवास बन्धु को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

शासन के उक्त पत्र के अनुक्रम में अभिकरणों की समीक्षा हेतु **आदरणीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28.05.2022 को प्रातः 10.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग आहूत की गयी है।**

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार आहूत वी.सी. में नियत समय पर अद्यतन सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें **साथ ही वी. सी. से सम्बन्धित 13 प्रारूपों पर सूचनाएं आज ही गूगल शीट (लिंक आपको पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।)** पर फीड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्तानुसार।

भवदीय

(रतन कुमार)
प्रशासनिक अधिकारी
कृते आयुक्त।

पृष्ठाकंन एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि–

1. व्यैक्तिक सहायक को मा0 आयुक्त महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ।
2. आशुलिपिक को आ0 अपर आयुक्त (प्रथम) के समक्ष अवलोकनार्थ।

(रतन कुमार)
प्रशासनिक अधिकारी
कृते आयुक्त।

संख्या 531 /आठ–1–22–[illegible]

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मण्डलायुक्त,
समस्त मण्डल,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक 19 मई, 2022

विषयः आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों की समीक्षा के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं0–1303/आठ–1–1858/2020 दिनांक 31.08.2021, अनुस्मारक पत्र संख्या–1504/आठ–1–21–1858/2020 दिनांक 29.09.2021 एवं अनुस्मारक संख्या 1657/आठ–1–1858/2020 दिनांक 25.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों की 13 प्रारूपों पर समीक्षा कर उपलब्ध करायी गयी सूचना के परीक्षणोपरान्त लिये गये निम्न निर्णयों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे जो अद्यतन अप्राप्त हैः–

(1) संलग्नक–1 में उल्लिखित प्राधिकरणों की विगत 03 वर्षों की औसत आय एवं व्यय ऋणात्मक है। इन प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु कार्ययोजना बनायी जाये।

(2) संलग्नक–2 के अनुसार 13 अभिकरणों में नियोजन हेतु लैंड बैंक की उपलब्धता शून्य है। इन प्राधिकरणों में प्राथमिकता पर लैंड बैंक विकसित किया जाए।

(3) जिन 59 महायोजनाओं को तैयार किया जा रहा है, उनकी गहन समीक्षा सुनिश्चित की जाए, जिससे योजनओं तथा जमीनी स्थिति में एकरूपता हो।

(4) OBPAS की प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, जिससे नक्शों के पास होने में विलम्ब न हो।

(5) जिन विषयों यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, जहाँ अन्य विभागों से सहयोग की आवश्यकता है, का विवरण शीघ्र उपलब्ध कराया जाये तकि उच्च स्तर पर बैठक कराकर शीघ्र निर्णय कराया जा सके।

2– इस संबंध में पुनः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं कृत कार्यवाही से **दिनांक 20.05.2022 के अपरान्ह् 02.00 बजे** तक शासन एवं आवास बन्धु को अवगत कराने का कष्ट करें।

Received today
21.05.22

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।